

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक/ 1893/1134836/
/2023/50-2/

भोपाल दिनांक 20/07/2023

प्रति,

कलेक्टर,
जिला समस्त,
मध्यप्रदेश

विषय :- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 में नवीन संशोधनों के अनुक्रम में क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश।

- संदर्भ :- 1. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 जारी करने के संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक 581/1134838/23/50-2 भोपाल, दिनांक 01-03-23
2. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 में संशोधन के संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक 1887/1134836/23/50-2 भोपाल, दिनांक 19-07-23
3. मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के क्रियान्वयन हेतु विभागीय आदेश क्रमांक 581/23/50-2/1134838 भोपाल, दिनांक 01-03-23

--00--

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वालंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत् सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु राज्य शासन द्वारा संदर्भित आदेश क्रमांक-1 में उल्लेखित प्रावधानों अनुसार “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023” का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

1. राज्य शासन द्वारा उक्त योजना के प्रावधानों में संदर्भित आदेश क्रमांक-2 द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया गया है -

1.1- योजना अंतर्गत पात्रता की कण्डिका 3.3 को निम्नानुसार संशोधित कर प्रतिस्थापित किया गया है:-

"आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।"

1.2- योजना अंतर्गत अपात्रता की कण्डिका 4.9 को निम्नानुसार संशोधित कर प्रतिस्थापित किया गया है:-

"जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) हो। यहाँ पर परिवार की परिभाषा कण्डिका 2.2 के अनुसार ही मान्य होगी।"

2. योजना अंतर्गत उक्त नवीन संशोधनों के अनुक्रम में दिनांक 25 जुलाई 2023 से दिनांक 20 अगस्त 2023 तक योजना के पोर्टल lbadmin.mp.gov.in पर पुनः नवीन पात्रताधारी महिलाओं के आवेदनों की ऑनलाईन प्रविष्टि कराई जानी है। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:-

2.1. दिनांक 25 जुलाई 2023 से योजना का पोर्टल को पुनः आवेदन की प्रविष्टि हेतु खोला जावेगा। आवेदन ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड कार्यालय के माध्यम से ऑनलाईन ग्राह्य होंगे।

2.2. दिनांक 01 जनवरी 2023 को 21 वर्ष या उससे अधिक तथा 23 वर्ष से कम आयु की समग्र पोर्टल पर आधार E-kyc पूर्ण महिलाओं को आवेदन हेतु पात्रता होगी।

2.3. दिनांक 01 जनवरी 2023 को 23 वर्ष या उससे अधिक तथा 60 वर्ष से कम आयु की ऐसी महिलाएं जिन्होंने स्वयं के परिवार में ट्रैक्टर होने के कारण आवेदन नहीं किया वे महिलाएं आवेदन कर सकेंगीं। ऐसी महिलाओं से उनके ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक प्राप्त किया जाएगा। इन पंजीयन नंबरों को तथा उनके मालिकों के नामों का परिवहन विभाग के पोर्टल से ऑनलाईन सत्यापन किया जाएगा। एक ट्रैक्टर को एक परिवार समग्र आई.डी. हेतु मान्य किया जाएगा।


- 2.4. योजना अंतर्गत नवीन आवेदनों की ऑनलाईन प्रविष्टि, अनंतिम सूची का प्रकाशन, अनंतिम सूची पर आपत्तियों को प्राप्त किया जाना, आपत्तियों का आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा निराकरण तथा अंतिम सूची का प्रकाशन की प्रक्रिया संदर्भित पत्र क्रमांक-3 द्वारा पूर्व में प्रसारित दिशा निर्देश अनुरूप ही किया जायेगा।
- 2.5. मुख्यमंत्री लाइली बहना योजनांतर्गत अन्य अपात्रताएं एवं प्रक्रिया यथावत रहेंगी।

3. नवीन आवेदनों पर क्रियान्वयन की समयसीमा -

क्र	गतिविधियां	समयसीमा
1	नवीन हितग्राहियों हेतु ऑनलाईन आवेदनों का पंजीयन प्रारंभ	25 जुलाई 2023
2	ऑनलाईन आवेदन पंजीयन करने की अंतिम तिथि	20 अगस्त 2023
3	अनंतिम सूची जारी दिनांक	21 अगस्त 2023
4	अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों की अवधि	21 अगस्त से 25 अगस्त 2023 तक
5	आपत्ति/जाँच एवं निराकरण हेतु अवधि	26 अगस्त से 29 अगस्त 2023 तक
6	अंतिम सूची जारी करने का दिनांक	31 अगस्त 2023
7	स्वीकृति पत्रों का वितरण	01 सितम्बर से 03 सितम्बर 2023 तक
8	राशि अंतरण का दिनांक	10 सितम्बर 2023 से
9	आगामी माहों में भुगतान हेतु नियत तिथि	प्रत्येक माह की 10 तारीख को

कृपया योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण करें।
जिससे की समय-सीमा में समस्त नवीन पात्र महिलाओं को लाभांवित किया जा सके।

संलग्न- संदर्भित पत्र



(दीपाली रस्तोगी)

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

1834/1134836/
पृ०क्र०/ /2023/50-2/
प्रतिलिपि :

भोपाल दिनांक 20/07/2023

- 1- अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश
- 2- प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मध्यप्रदेश
- 3- प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मध्यप्रदेश
- 4- आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश
- 5- संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश
- 6- प्रबंध संचालक, एमपीएसईडीसी
- 7- आयुक्त, नगर निगम, नगरीय प्रशासन विभाग, समस्त, मध्यप्रदेश
- 8- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त, मध्यप्रदेश
- 9- जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, समस्त, मध्यप्रदेश
- 10- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, समस्त जनपद, समस्त, मध्यप्रदेश
- 11- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद/नगर पालिका, समस्त, मध्यप्रदेश
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(अजय कटसरिया)


उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (म.प्र.)
भोपाल, दिनांक 01/03.2023

::आदेश::

क्रमांक 581/1134838/2023/50-2 : राज्य शासन द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023' की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अजय कटेशरिया)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 01/03.2023

पृष्ठा. क्र. 582/1134838/2023/50-2
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी
2. स्टाफ ऑफिसर, म.प्र. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय आवास एवं विकास विभाग
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
6. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास,
7. संभागीय आयुक्त, संभाग - समस्त, मध्यप्रदेश
8. कलेक्टर, जिला- समस्त, मध्यप्रदेश
9. अधिकारी शाखा-2/ गार्ड फाईल
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023

1. भूमिका -

प्रदेश में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा उनके आर्थिक स्वावलम्बन हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त के सन्दर्भ में प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु निम्नानुसार संकेतांकों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है:-

1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21) के अनुसार 23.0 प्रतिशत महिलाएं मानक बॉडी मास इन्डेक्स से कम स्तर पर है।
2. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 (2020-21) अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 54.7 प्रतिशत परिलक्षित हुआ है।
3. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में जारी रिपोर्ट "भारत में महिला एवं पुरुष वर्ष 2020" अन्तर्गत प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश में श्रम बल सहभागिता दर में ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत जहां 57.7 प्रतिशत पुरुष भागीदारी है वही मात्र 23.3 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 55.9 प्रतिशत पुरुषों के विरुद्ध केवल 13.6 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी रही



है। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा कम है जो उनकी आर्थिक स्वावलम्बन की स्थिति को प्रभावित करता है।

उपरोक्त परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में "मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना" लागू किये जाने की घोषणा की जिसके अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए महिलाओं को दिए जायेंगे। यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

2. परिभाषा -

- 2.1. परिवार समग्र आईडी - राज्य में निवासरत परिवारों की पहचान हेतु जारी यूनिक आईडी, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के "समग्र पोर्टल" से जारी की गयी हो।
- 2.2. परिवार -परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है।
- 2.3. स्थानीय निवासी- स्थानीय निवासी से तात्पर्य मध्य प्रदेश में निवासरत व्यक्ति से है।



- 2.4. आयकरदाता - ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्य आय होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल किया हो।
- 2.5. ई-केवायसी - ई-केवायसी से तात्पर्य समग्र पोर्टल पर आधार में दर्ज जानकारीयों का ऑनलाइन सत्यापन।
- 2.6. विवाहित महिला - 23 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलायें जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता भी सम्मिलित हैं।
- 2.7. पोर्टल/ऐप - योजना के संदर्भ में पोर्टल/ ऐप से तात्पर्य मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023के वेब पोर्टल/ मोबाईल एप्लीकेशन से है।

3. योजना अंतर्गत पात्रता -

योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिला पात्र होगी जो-

- 3.1. मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।
- 3.2. विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।
- 3.3. आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।

4. योजना अंतर्गत अपात्रता -

योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएँ अपात्र होंगी -



- 4.1 जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।
- 4.2 जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
- 4.3 जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित/स्थायीकर्म/संविदाकर्म के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
परंतु मानसेवी कर्म तथा आउटसोर्सिंग एजेसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी।
- 4.4 जो स्वयं भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है।
- 4.5 जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो।
- 4.6 जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड/निगम/मण्डल/ उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ संचालक/सदस्य हो।
- 4.7 जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो।



4.8 जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पाँच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो। यहाँ पर परिवार की परिभाषा कण्डिका 2.2 के अनुसार ही मान्य होगी।

4.9 जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो। यहाँ पर परिवार की परिभाषा कण्डिका 2.2 के अनुसार ही मान्य होगी।

5. योजना का विस्तार-

योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए लागू होगी।

6. योजना अंतर्गत सहायता-

6.1. प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा।

6.2. किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अथवा अन्य किसी योजना में प्रतिमाह 1,000/- रूपये से कम राशि प्राप्त हो रही हो तो उतनी अतिरिक्त राशि इस योजना में स्वीकृत की जावेगी, जिससे उसे कुल 1,000/- रूपये की राशि प्राप्त हो सके।



7. योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया-

7.1. आवेदन करने की प्रक्रिया -योजना हेतु आवेदन पोर्टल/ मोबाइल ऐप के माध्यम से भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है -

7.1.1 ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही "आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र" भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैम्प/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय/ आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे।

7.1.2. उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टि कैम्प/वार्ड/ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय में नियत कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्री प्रिंटेड पावती दी जावेगी। यह पावती पोर्टल/ app से सीधे एसएमएस/ व्हाटसअप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आंगनवाडी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी।

7.1.3. आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।

7.1.4. आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसकी लाइव फोटो ली जा सके । इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर कैंप आना आवश्यक होगा:-

1. परिवार की समग्र आई डी
2. स्वयं की समग्र आई डी
3. स्वयं का आधार कार्ड



7.2. अनंतिम सूची का प्रकाशन-आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जायेगा।

7.3. आपत्तियों को प्राप्त किया जाना -प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियाँ पोर्टल/ऐप के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्पलाईन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल/ ऐप पर दर्ज किया जायेगा।

जो आपत्तियाँ लिखित (ऑफलाइन) प्राप्त हुयी हैं उनके सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।

आपत्तियाँ केवल सूची में दर्ज महिलाओं की पात्रता के संबंध में प्रमाण सहित की जा सकेगी।

7.4. आपत्ति निराकरण समिति-प्रदर्शित अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा -



क- ग्राम पंचायत क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, क्षेत्र का नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।

ख- नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।

ग- नगर निगम क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु आयुक्त नगर निगम, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।

7.5. आपत्तियों की जाँच एवं अंतिम सूची जारी किया जाना-आवेदन पर आपत्ति की जाँच एवं निराकरण 15 दिवस में समिति द्वारा किया जायेगा। समिति केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार करेंगी जिसमें आपत्ति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त प्राप्त आवेदनों का राज्य स्तर पर रैंडम चयन किया जाकर ऐसे चयनित आवेदनों की पात्रता सम्बंधी विशेष जांच की जा सकेगी।

समस्त आपत्तियों के समय सीमा में परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची आपत्ति निराकरण समिति के स्तर पर



मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत/ सीएमओ, नगरीय निकाय/ आयुक्त, नगर निगम द्वारा स्वीकृत की जाकर पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी। सूची का प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर भी चस्पा किया जायेगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल/ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी।

7.6. पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र जारी किया जाना -अंतिम सूची में पात्र हितग्राही को ग्राम सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा योजना में लाभांवित होने सम्बंधी "स्वीकृति पत्र" जारी किया जायेगा।

7.7. हितग्राही को राशि का भुगतान -पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंकड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाता होना चाहिये। आवेदन ऑनलाइन प्रविष्टि के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस सम्बंध में पावती से सूचित किया जायेगा तथा उससे अपेक्षा होगी कि आवेदिका स्वयं का बैंक खाता (आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड) खुलवा लें। इसके लिये जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समयसीमा में उक्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।



7.8. नियमित परीक्षण एवं सत्यापन-

भविष्य में हितग्राही के सम्बंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जाँच आपत्ति निराकरण समिति द्वारा की जायेगी। जाँच में अपात्र होने की दशा में सम्बंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन योग्य होने की सूचना उसे दी जाकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। आपत्ति सही पाये जाने पर ग्राम पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा सम्बंधित हितग्राही का नाम विलोपित किया जा सकेगा।

मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय समय पर जानकारी प्राप्त होने पर / सत्यपान पश्चात अंतिम सूची से विलोपित किए जाएंगे।

8- निगरानी एवं समीक्षा-

8.1. राज्य स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी:- राज्य स्तर पर योजना क्रियान्वयन एवं उसके सतत निगरानी हेतु संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग में "विशिष्ट तकनीकी परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ" (STPMU) का पृथक से नियोजन किया जायेगा, जिसका व्यय योजना पर भारित होगा।

8.2. जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी- जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, संयुक्त संचालक नगरीय

प्रशासन एवं विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि, तथा जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर सदस्य होंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सदस्य सचिव रहेंगे, योजना के सघन क्रियान्वयन हेतु सतत समीक्षा करेगी।

8.3. निर्देशों का जारी किया जाना - योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अन्य आवश्यक निर्देश समय-समय पर आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किये जाएंगे।

9- बजट -

योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक आर्थिक राशि का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में किया जाएगा।

10- नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन-


योजना हेतु राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा एवं योजना का क्रियान्वयन क्षेत्र में स्थानीय निकायों द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले के सहयोग से किया जायेगा। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के भुगतान की स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में सम्बंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा नगर निगम क्षेत्र में



आयुक्त, नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र हेतु सम्बंधित सीएमओ नगरीय निकाय होंगे।

11- योजना का मूल्यांकन -

मुख्यमंत्री लाइली बहना योजना 2023 के कार्य की दक्षता का मूल्यांकन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था से कराया जायेगा।


अजय कट्टेसारिया
उप सचिव
म.प्र. शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.)

//आदेश//

भोपाल दिनांक 19/07/2023

क्रमांक//887/1134836/23/50-2:: राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद् आयटम क्रमांक 19, दिनांक 18 जुलाई 2023 के निर्णय अनुसार मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के निम्नानुसार संशोधित प्रावधानों की स्वीकृति दी जाती है :-

1. योजना अंतर्गत पात्रता की कण्डिका 3.3 को निम्नानुसार संशोधित कर प्रतिस्थापित की जाती है:-


“आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हो तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।”

2. योजना अंतर्गत अपात्रता की कण्डिका 4.9 को निम्नानुसार संशोधित कर प्रतिस्थापित की जाती है:-

“जिनके परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) हो। यहाँ पर परिवार की परिभाषा कण्डिका 2.2 के अनुसार ही मान्य होगी।”

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा
आदेशानुसार


(अजय कटेसरिया)

उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

पृष्ठा. क्र. 1888 /1134836/23/50-2

भोपाल, दिनांक/9.07.2023

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी
 2. उप सचिव, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
 3. सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन
 4. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, संचालनालय भोपाल
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.

क्र./58/2023/50-2/1134838/

भोपाल, दिनांक 01/08/2023

प्रति,

कलेक्टर
जिला - समस्त
मध्यप्रदेश

विषय - मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश ।

प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ की जा रही है।

योजना अंतर्गत पात्र महिलाओं को 1000 रुपये की राशि प्रति माह, उनके स्वयं के आधार-लिंकड-डीबीटी-इनेबल्ड बैंक खाते में जमा की जाएगी। योजना का विस्तृत स्वरूप संलग्न परिशिष्ट- 'क' अनुसार है। जिलों से अपेक्षा है कि वह इन निर्देशों के अनुरूप योजना के जिले के अंदर सफल क्रियान्वयन हेतु विस्तृत एवं सूक्ष्म कार्य योजना बनाएँ ताकि योजना का सफल क्रियान्वयन हो एवं इसके उद्देश्य की पूर्ति हो।

1. पात्र महिलाओं के फॉर्म (आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र) भरवाना
 - 1.1. योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र महिलाओं के संलग्न परिशिष्ट 'ख' अनुसार फॉर्म (आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र) भरे जाने हैं।
 - 1.2. छपे फॉर्म आयुक्त महिला बाल विकास कार्यालय से प्राप्त किए जाएँ तथा ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालयों में आवश्यक संख्या में उपलब्ध कराये जाएँ। फॉर्म स्थानीय स्तर भी छपवाए जा सकते हैं।

- 1.3. फॉर्म भरवाने में महिलाओं की मदद हेतु ग्राम स्तर पर उपलब्ध कर्मी एवं volunteers की निशुल्क सेवाएँ ली जा सकती हैं।
- 1.4. फार्म, कैंप आयोजन के पूर्व अथवा कैंप के दिन भी भरवाये जा सकते हैं।
- 1.5. फार्म भरवाने हेतु आवेदक महिला से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।

2. फार्म की पोर्टल/ app में प्रविष्टि हेतु कैंप का आयोजन

- 2.1 कण्डिका 1.1 में उल्लेखित फॉर्म की प्रविष्टि App/Portal में भरने के लिए प्रत्येक ग्राम/ शहरी वार्ड में कैंप आयोजित किए जाएँ। आवश्यक हो तो बड़े ग्रामो / वार्डों में पात्र महिलाओ की संख्या को देखते हुए एक से अधिक स्थल पर भी कैंप आयोजित किए जा सकते हैं।
- 2.2 कैंप इस प्रकार आयोजित किए जाये कि कैंप क्षेत्र की सभी पात्र महिलाओ के फॉर्म 30 अप्रैल तक पोर्टल/ App में प्रविष्ट हो जाएँ। प्रत्येक स्थल पर कैम्प अवधि पर्याप्त हो ताकि बिना भीड़-भाड़ के कार्य संपादित हो।
- 2.3 कैंप के आयोजन की सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार की जाये जिसमें कैंप के आयोजन की तिथि, समय, स्थान, कैम्प में उपस्थित होने वाले अधिकारी का नाम, कैंप प्रभारी एवं अन्य सहयोगी कर्मचारियों के नाम, पदनाम, विभाग का नाम, कैम्प में उपस्थित होने वाली महिलाओं की अनुमानित संख्या आदि विवरण शामिल हो।
- 2.4 कैंप की सूचना कैंप स्थल पर एवं नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र पर कार्यकर्ता को सूचित करते हुए चस्या की जाए।
- 2.5 कैंप आयोजन दिवस में व्यवस्थाएं -
 - 2.5.1. समस्त व्यवस्थाएं एवं तैयारी कैंप प्रारंभ होने से पूर्व सुनिश्चित की जाएँ।
 - 2.5.2. कैंप में इन्टरनेट कनेक्टिविटी के साथ ही निम्नानुसार आवश्यक तकनीकी संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये-
 - बायोमेट्रिक डिवाइस
 - लैपटॉप/डेस्कटॉप/ LBY app युक्त मोबाइल डिवाइस / टैब्लेट
 - यूपीएस (Data Back-up Support),
 - वेब कैमरा

- 2.5.3. कैम्प में "आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी" के प्रपत्रों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- 2.5.4. कैम्प में ड्यूटी हेतु विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है।
- 2.5.5. कैम्प में यथा स्थान सूचना पट्टिकाएं, आवेदकों के बैठने हेतु पर्याप्त व्यवस्था, गर्मी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार टेंट, पेयजल, मेडिसिन किट आदि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- 2.5.6. कैम्प दिवसों में ग्राम में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
- 2.5.7. कैम्प की अवधि का निर्धारण ग्राम/वार्ड में पात्र हितग्राहियों की संख्या के आधार पर हो ताकि शत प्रतिशत पात्र आवेदनों के निराकरण हो सके।

3. फार्म की पोर्टल/ app में प्रविष्टि

- 3.1. पात्र महिलाओं द्वारा भरे फार्म की प्रविष्टि लाइली बहना योजना पोर्टल/ app में उक्तानुसार आयोजित विशेष कैम्प में की जाये।
- 3.2. प्रविष्टि हेतु कैम्प प्रभारी SAMAGRA के login credentials का उपयोग करके प्रत्येक पात्र महिला की जानकारी की प्रविष्टि पृथक- पृथक करेंगे।
- 3.3. एक कैम्प में एक से अधिक Login Credentials बनाने के लिए कलेक्टर की अनुमति से जिला E-governance Manager सक्षम होंगे।
- 3.4. कैम्प में महिला को स्वयं आकर अपना फार्म कैम्प प्रभारी को देना होगा। अपना समग्र id/ परिवार का समग्र id तथा स्वयं का आधार कार्ड लेकर आना होगा।
- 3.5. महिला की लाइव फोटो भी खींची जाये।
- 3.6. महिला का पूर्व से SAMAGRA पोर्टल पर आधार E-KYC न होने की दशा में उसका E-KYC किया जाये। SAMAGRA में E-KYC न होने पर यथासंभव बायोमेट्रिक डिवाइस से ही E-KYC कराया जाये। विशेष परिस्थिति में ही ओटीपी के माध्यम से E-KYC किया जाये। चूंकि समग्र में E-KYC Status update होने में 24 घण्टे लगते हैं, महिला को समझाईश दी जाए कि वह अगले दिन कैम्प में पुनः



उपस्थित हो अथवा कैम्प समाप्त होने की दशा में ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में अपने आवेदन की प्रविष्टि कराये।

- 3.7. फॉर्म की जानकारी की सफलता पूर्वक प्रविष्टि हो जाने पर फॉर्म के निचले भाग में उपलब्ध पावती में ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म के आवेदन क्रमांक तथा अन्य आवश्यक जानकारी की प्रविष्टि कर आवेदक महिला को प्रदाय किया जाये। यह ध्यान रहे कि जानकारी के app/ पोर्टल में दर्ज हो जाने के पश्चात ही फॉर्म की पावती प्रदाय की जाए ताकि आवेदक को इस बात की संतुष्टि हो जाए की उसका आवेदन ग्राह्य हो गया है। अपवाद की स्थिति में यदि कैम्प स्थल पर पावती न दी जा सके तो आगामी दिवसों में आवेदक को पावती हेतु समय व स्थान से अवगत कराते हुए वितरित की जाए।
 - 3.8. कैम्प में उपस्थित महिला के पात्रता आयु में न होने, अविवाहित होने अथवा उसके समग्र में E-KYC न होने - केवल इन परिस्थितियों में उसका आवेदन लाइली बहना योजना के पोर्टल/एप में प्रविष्टि हेतु ग्राह्य नहीं किया जाएगा तथा पावती में तदनुसार लेख कर आवेदन को मूलतः वापस किया जाएगा। अन्य अपात्रताओं की जांच अनंतिम सूची प्रदर्शित होने के पश्चात् आपत्ति प्राप्त होने अथवा रैण्डम जांच द्वारा ही की जाएगी।
 - 3.9. ऑनलाइन पावती पोर्टल के माध्यम से भी हितग्राही को Whatsapp/SMS से भेजी जाएगी।
 - 3.10. आवेदन की पोर्टल/एप में प्रविष्टि हेतु आवेदक से कोई भी शुल्क न लिया जाये।
4. कैम्प प्रभारियों और सहयोगियों का प्रशिक्षण
- 4.1. राज्य स्तर से प्रत्येक जिले के लिए 4 से 5 मास्टर ट्रेनर को ऑनलाइन प्रशिक्षण NIC webroom के माध्यम से दिया जाएगा जिसकी तिथि पृथक से सूचित की जाएगी।
 - 4.2. इन प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से कैम्प के आयोजन, "आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का फॉर्म" भरने, आवेदक द्वारा प्रस्तुत फॉर्म की app /पोर्टल में प्रविष्टि करने, पावती देने इत्यादि गतिविधियों के लिए कैम्प प्रभारी सहित कैम्प से

सम्बद्ध समस्त कर्मचारियों को कैम्प आयोजन से पूर्व, विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4.3. प्रशिक्षण हेतु USER MANUAL राज्य स्तर से उपलब्ध कराया जाए। प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण से पर्याप्त समय पूर्व योजना के 'USER MANUAL' का भती भांति अध्ययन किया जाये।

5. प्रचार-प्रसार :- आवेदकों को कैम्प स्थल पर आवेदन की प्रविष्टि कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज़, योजना की पात्रता, अपात्रता, कैम्प तिथि आदि के सम्बन्ध में जानकारी दर्शित करते हुए फ्लेक्स उचित स्थान पर लगाया जायें तथा पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी पात्र हितग्राही योजना में लाभान्वित होने से वंचित न रहे।

6. पात्र हितग्राहियों को लाभ लेने हेतु तैयार करना

6.1. कैम्प के पूर्व हितग्राहियों को योजना के लाभ लेने हेतु निम्नानुसार तैयार किया जाए:-

6.1.1. हितग्राही के SAMAGRA id में E-KYC हो यह सुनिश्चित किया जाये। इसे कैम्प आयोजन के पूर्व किसी भी MPONLINE /CSC किओस्क पर निशुल्क कराया जा सकता है। अपवाद में कैम्प स्तर पर भी यह कार्य किया जा सकता है पर इसके लिए SAMAGRA एवं AADHAAR में हितग्राही की जानकारी में मेल होना चाहिए। ऐसा न होने पर AADHAAR अनुसार SAMAGRA में जानकारी के शीघ्र संशोधन के लिए ग्राम सचिव / वार्ड प्रभारी सहयोग करेंगे।

6.1.2. मैदानी अमले को निर्देशित किया जाए कि योजना का लाभ लेने के लिए समस्त पात्र महिलाओं के स्वयं के बैंक खाते कार्यशील हों, बैंक खाते आधार से लिंकड, सत्यापित एवं DBT इनेबल्ड हों अर्थात् बैंक खाता न केवल आधार से जुड़ा व सत्यापित हो बल्कि आधार के माध्यम से राशि प्राप्त करने के लिए तैयार भी हो।

- 6.1.3. बैंक खाते को आधार से लिंक, सत्यापित एवं DBA इनेबल्ड महिला के द्वारा बैंक जाकर ही कराया जा सकता है, अतः उक्त कार्यवाही कैंप से पूर्व करने हेतु पात्र महिलाओं को प्रेरित करना सुनिश्चित करें।
- 6.1.4. ऐसी महिलाएं जिनके स्वयं के बैंक खाते नहीं हैं, अथवा DBA इनेबल्ड नहीं हैं, उनके बैंक खाते आधार लिंकड DBA इनेबल्ड करवाने हेतु आवेदन भरने में सहयोग हेतु मैदानी अमले को निर्देशित किया जाए। यह आवेदन फॉर्म बैंक से प्राप्त कर पूर्व से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्राम सचिव/वार्ड प्रभारी को उपलब्ध करा दिये जाएँ।
- 6.1.5. जिले में DLCC की बैठक आयोजित कर सुनिश्चित करें कि सभी बैंक उक्त कार्य हेतु संवेदनशील हों।
- 6.2. आवेदन की app /पोर्टल में प्रविष्टि हेतु camp दिनांक को हितग्राहियों को तैयार करना -
- 6.2.1. निर्धारित आयु सीमा की पात्र महिलाओं को स्वयं (लाइव फोटो हेतु), आधार कार्ड, परिवार/स्वयं की समग्र आई डी क्रमांक एवं मोबाइल नंबर जो आधार से लिंकड हो, के साथ कैंप में उपस्थिति देना होगा। इस आशय की जानकारी प्रचार- प्रसार में पर्याप्त समय पूर्व दी जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 6.2.2. उक्त क्षेत्रों में शिविरों में पर्याप्त संख्या में 'आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र' की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

7. कैंप के पश्चात् की कार्यवाहियाँ

7.1. अनंतिम सूचियों का प्रकाशन

फॉर्मों की App/Portal पर प्रविष्टि हेतु आमंत्रित कैम्पों की अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिंट-आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जायेगा।

7.2. आपत्तियों को प्राप्त किया जाना

प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियाँ पोर्टल/ऐप के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्पलाइन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा सम्बंधित महिला आवेदक की प्रविष्टि के विरुद्ध पोर्टल/ ऐप पर दर्ज किया जायेगा। जो आपत्तियाँ लिखित (ऑफलाइन) प्राप्त हुई हैं उनके सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर 3 दिन के अंदर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।

7.3. आपत्ति निराकरण समिति

प्रदर्शित अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण आपत्ति निराकरण समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा -

- 7.3.1. ग्रामीण क्षेत्र की आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, क्षेत्र का नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।
- 7.3.2. नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र की आपत्तियों के निराकरण हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।
- 7.3.3. नगर निगम क्षेत्र की आपत्तियों के निराकरण हेतु आयुक्त नगर निगम, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।

7.4. आपत्तियों की जाँच एवं अंतिम सूची जारी किया जाना -

आवेदन पर आपत्ति की जाँच एवं निराकरण 15 दिवस में समिति द्वारा किया जायेगा। समिति केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार करेगी जिसमें आपत्ति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त प्राप्त आवेदनों का रैण्डम चयन राज्य स्तर पर किया जाकर उनकी

पात्रता सम्बन्धी विशेष जांच पृथक से की जावेगी। इस प्रकार चयनित आवेदनों की सूची आवेदनों की प्रविष्टि पूर्ण होने पर भेजी जावेगी।

समस्त आपत्तियों के समय सीमा में परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची आपत्ति निराकरण समिति के स्तर पर सम्बंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत / सीएमओ, नगरीय निकाय / आयुक्त, नगर निगम द्वारा स्वीकृत की जाकर पोर्टल/ ऐप पर ही प्रदर्शित की जायेगी जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर भी चस्था किया जायेगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक से सूची भी पोर्टल/ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी।

7.5. पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र जारी किया जाना -

अंतिम सूची में पात्र हितग्राही को ग्राम सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा योजना में लाभांविता होने का "स्वीकृति पत्र" जारी किया जायेगा जिसका प्रारूप पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।

7.6. हितग्राही को राशि का भुगतान -

पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक डीबीटी इनेबलड बैंक खाते में किया जायेगा। आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी इनेबलड बैंक खाता होना चाहिये। आवेदन की App/Portal में प्रविष्टि के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस सम्बंध में पावती में सूचित किया जायेगा तथा उससे अपेक्षा होगी कि वह स्वयं का बैंक खाता (आधार लिंक डीबीटी इनेबलड) खुलवा लें। इसके लिये जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समय-सीमा में उक्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

भुगतान संबंधी विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।



7.7. योजना के क्रियान्वयन की समय-सीमा -

क्र	गतिविधियां	समयसीमा
1.	योजना का शुभारंभ	5 मार्च 2023
2.	आवेदन प्राप्ति का प्रारंभ	15 मार्च 2023
3.	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि	30 अप्रैल 2023
4.	अनंतिम सूची जारी दिनांक	1 मई 2023
5.	अनंतिम सूची पर आपतियाँ प्राप्त करने की अवधि	1 मई से 15 मई 2023 तक
6.	आपत्ति निराकरण हेतु अवधि	16 मई से 30 मई 2023 तक
7.	अंतिम सूची जारी करने का दिनांक	31 मई 2023
8.	राशि अंतरण का दिनांक	10 जून 2023 तक
9.	आगामी माहों में भुगतान हेतु नियत तिथि	प्रत्येक माह की 10 तारीख को

7.8. नियमित परीक्षण एवं सत्यापन -

भविष्य में किसी पात्र हितग्राही के सम्बंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जाँच आपत्ति निराकरण समिति द्वारा की जायेगी। जाँच में अपात्र होने की दशा में सम्बंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन योग्य होने की सूचना उसे दी जाकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा। आपत्ति सही पाये जाने पर ग्राम पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा सम्बंधित हितग्राही का नाम विलोपित किया जा सकेगा।


7.9. जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी-

जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि, जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर सदस्य होंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सदस्य सचिव रहेंगे, योजना के सघन क्रियान्वयन हेतु सतत समीक्षा करेगी।



निर्देशानुसार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त तैयारी एवं कार्यवाही पूर्ण करें, ताकि समय सीमा में समस्त पात्र महिलाओं को लाभान्वित किया जा सके।


संलग्न - मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की प्रति एवं आवेदन भरने की जानकारी का प्रपत्र /फॉर्म


म ल ल

(मलय श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
विभाग



(नीरज मंडलोई)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास
विभाग



(दीपाली रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास
विभाग

पृ. क्र./582 /2023/50-2/1134838/

भोपाल, दिनांक 01/03/2023

प्रतिलिपि -

1. संभागीय आयुक्त, समस्त संभाग, म.प्र.
2. आयुक्त, नगर निगम, नगरीय प्रशासन विभाग, समस्त म.प्र.
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त म.प्र.
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त म.प्र.
5. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद/नगर पालिका, समस्त म.प्र.
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, समस्त जनपद, समस्त म.प्र.
की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।



उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग